REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082024-256456 CG-DL-E-17082024-256456

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3147]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946No. 3147]NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

का.आ. 3462(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,**1988** (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 452(अ), दिनांकित 16 मार्च, 2012 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमश: कॉलम सं. (1), **(**2), (3) और (4) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

पुरानी राष्ट्रीय	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
राजमार्ग सं.			
87	9,109	उत्तराखंड राज्य में उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा – रूद्रपुर – काठगोदाम (रामपुर – काठगोदाम खंड का)	किमी 43.30 से किमी 88.00 तक

क्रमश: कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
87 (नया रारा-	उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सीमा – रूद्रपुर – काठगोदाम खंड	किमी 43.30 से किमी
9,109)	(उत्तराखंड राज्य में)	91.00 तक

[फा. सं. एनएच-14013/5/2023-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 452(अ), दिनांकित 16 मार्च, 2012 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

S.O. 3462(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012, namely:-

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2), (3) and (4) respectively: -

Old National Highway No.	New National Highway No.	Section.	Stretch in Kilometers
87	9,109	Uttar Pradesh/ Uttarakhand Border-Rudrapur- Kathgodam (of Rampur-Kathgodam Section) in the State of Uttarakhand	From Km. 43.30 to Km. 88.00

the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively, shall be substituted: -

	(3)	
87 (New NH-9.109) Uttar Pradesh/ Uttrakhand Border-Rudrapur-Kathgodam From Km. 4	43.30 to F	ζm.
Section (In the State of Uttarakhand) 91.00		

[F.No. NH-14013/5/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Director

Note:-The principal notification was published vide number S.O. 452(E), dated the 16th March, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

का.आ. 3463(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 {किमी 218.000 से किमी 368.000 रूद्रप्रयाग बाइपास सहित}, सं. 72 [किमी 103.400 से किमी 148.000 (हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा – बल्लूपुर (देहरादून) और किमी 165.000 से किमी 196.825 (नेपाली फार्म – देहरादून खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 307 (रारा सं. 72ए का विस्तार) [किमी 34.900 से किमी 38.600 उत्तराखंड/उ.प्र. सीमा-आशारोरी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 87 {रामपुर से काठगोदाम खंड के किमी 43.30 से (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) से किमी 91.00 (काठगोदाम) तक खंड को छोड़कर}, सं. 87 वि. {सिमली से कर्ण प्रयाग (7.00 किमी) खंड को छोड़कर}, सं. 94 (किमी 123 से किमी 218 (यमनोत्री के निकट धरासू से कुठनौर), सं. 109 (रूद्रप्रयाग - गौरीकुंड), सं. 119, सं. 121, सं. 123, सं. 125 {किमी 0.000 से किमी 52.200 (सितारगंज – टनकपुर खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 107ए, नई रारा सं. 309ए,	उत्तराखंड राज्य
	नई रारा सं. 309बी, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 707, नई रारा सं. 707ए और नई रारा सं. 731के के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं।	

[फा. सं. एनएच-14013/5/2023-पी एंड एम]

अभय जैन, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-2492(अ), तारीख 28 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

S.O. 3463(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table	

(1)	(2)	(3)
	So much of National Highways No.58 {(km 218.000 to km 368.000) including Rudraprayag bypass}, No.72 [excluding from Km 103.400 to km 148.000 (Himachal Pradesh/Uttarakhand border - Ballupur (Dehradun) and from km165.000 to km 196.825 (Nepali Farm- Dehradun section)], new NH No. 307 (ext. NH No. 72A) [excluding from km 34.900 to km 38.600	Uttarakhand".

(Uttrakhand/U.P. Border – Asharori section)], *No. 87 {excluding Rampur to Kathkodam section from km. 43.30 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border) to km. 91.00 (Kathgodam)}*, No. 87 Extn {excluding from Simli to KarnaPrayag (7.00 kms)},No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 109 (Rudraprayag- Gaurikund), No. 119, No. 121, No. 123, No. 125 {excluding from km. 0.000 to km. 52.200 (Sitarganj-Tanakpur section)}, new NH No. 107A, new NH No. 309A, new NH No. 309B, new NH No. 334A, new NH No. 707, new NH No.707A and new NH No. 731K as are situated within the State of Uttarakhand.

[F.No. NH-14013/5/2023-P&M]

ABHAY JAIN, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4thAugust, 2005 and was last amended vide number S.O. 2492(E), dated the 28th June, 2024.